

प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

वृहद् आर्थिक रुपरेखा का विवरण

क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार-

1.1 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तन का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 1.1 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.1

अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	अखिल भारतीय		मध्यप्रदेश	
	1999-2000	2008-09 अग्रिम अनुमान*	1999-2000	2008-09 त्वरित अनुमान*
प्राथमिक	27.32	18.88	33.34	25.69
द्वितीयक	22.98	23.84	20.64	21.94
तृतीयक	49.70	57.28	46.02	52.37

* टीप - केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना हेतु नयी श्रृंखला जारी करते हुए आधार वर्ष को वर्ष 1999-2000 के स्थान पर वर्ष 2004-05 किया गया है जबकि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008-09 का त्वरित अनुमान पुरानी श्रृंखला (आधार वर्ष 1999-2000) पर ही आधारित है। वर्ष 2008-09 के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमान नयी श्रृंखला पर आधारित होने के कारण राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान को ही दर्शाया गया है।

1.2 वर्ष 1999-2000 से 2008-09 तक अखिल भारतीय स्तर पर अर्थ व्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 27.32 प्रतिशत से घटकर 18.88 प्रतिशत हुआ है तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 49.70 प्रतिशत से बढ़कर 57.28 प्रतिशत हो गया है। इसकी तुलना में मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 33.34 प्रतिशत से घटकर 25.69 प्रतिशत हो गया है जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान 46.02 प्रतिशत से बढ़कर 52.37 प्रतिशत हो गया है।

- 1.3 वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 4.49 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 (त्वरित अनुमान अनुसार) तक घटकर 3.31 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2008-09 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़कर 3.53 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में प्रदेश के योगदान में बढ़ोतरी प्रदेश की आर्थिक सुदृढता का द्योतक है। राजकोषीय नीति के माध्यम से यह प्रयास है कि लोक निवेश में वृद्धि तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुये इस अंतर को और कम किया जाये।
- 1.4 वर्ष 2009-10 के दौरान भी प्रदेश के अनेक जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जिसका व्यापक असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर होने की संभावना है।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि

- 2.1 वर्ष 2008-09 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) के त्वरित अनुमान अनुसार जी. एस. डी. पी. में स्थिर भावों (वर्ष 1999-2000) पर गत वर्ष की तुलना में 8.67 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों के समीक्षा विवरण में यह उल्लेख था कि वर्ष 2007-08 के त्वरित अनुमान अनुसार स्थिर मूल्यों पर यह वृद्धि 5.25 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्रों के योगदान में बढ़ोतरी है।
- 2.2 मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2008-09 की अवधि में 4.93 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्रवृत्ति रेखा आधार पर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 7.5 प्रतिशत से कम है परन्तु वर्ष 2007-08 की तुलना में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ।

वर्ष 2008-09 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.08 प्रतिशत, 4.45 प्रतिशत तथा 10.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2008-09 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.1
स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 1999-2000) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2007-08 (प्रावधिक अनु.)	वर्ष 2008-09 (त्वरित अनु.)	वर्ष 2008-09 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
कृषि (पशुपालन सहित)	22145.06	24175.62	9.17
वानिकी	1428.30	1367.03	-4.29
मछली पालन	233.75	259.88	11.18
खनिज एवं खनन	4183.17	4450.75	6.40
विनिर्माण	11293.24	11487.19	1.72
निर्माण	9614.90	9844.92	2.39
विद्युत गैस एवं जल प्रदाय	3829.01	4505.51	17.67
रेल्वे	2620.05	2842.83	8.50
अन्य साधनों से परिवहन एवं भंडारण	3355.61	3605.69	7.45
संचार	6770.48	9035.31	33.45
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	14891.78	15605.15	4.79
बैंकिंग एवं बीमा	5648.47	6423.63	13.72
रीयल स्टेट	7967.80	8256.05	3.62
लोक प्रशासन	4764.45	5461.87	14.64
अन्य सेवार्यें	9629.90	10450.47	8.52
योग	108375.97	117771.90	8.67

2.3 1999-2000 से 2008-09 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था की विकास दर नीचे दर्शाई गई है।

चित्र



2.4 वर्ष 2008-09 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपये 171547.3 करोड़ है। इसमें पिछले वर्ष के त्वरित अनुमान की तुलना में 20.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष में यह वृद्धि केवल 11.15 प्रतिशत थी (त्वरित अनुमानों पर)।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

3.1 वर्ष 2008-09 में पुनरीक्षित अनुमान रुपये 3170.06 करोड़ राजस्व आधिक्य के विरुद्ध लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य रुपये 4063.33 करोड़ हुआ। इसी तरह राजकोषीय घाटे के पुनरीक्षित अनुमान रुपये 5371.16 करोड़ के विरुद्ध लेखा अनुसार राजकोषीय घाटा रुपये 4433.60 करोड़ हुआ। वर्ष 2009-10 में राजस्व आधिक्य के बजट अनुमान रुपये 1698.91 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर रुपये 5307.55 करोड़ होना संभावित है। राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान रुपये 6436.41 करोड़ की तुलना में इसका पुनरीक्षित अनुमान रुपये 6593.53 करोड़ है जो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.00 प्रतिशत) के भीतर है।

- 3.2 वर्ष 2008-09 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 33577.21 करोड़ है जो पुनरीक्षित अनुमान रुपये 34949.00 करोड़ से कम है। वर्ष 2009-10 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 43284.39 करोड़ है जो बजट अनुमान रुपये 39961.03 करोड़ से 8.32 प्रतिशत अधिक है। पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ने का मुख्य कारण राज्य विद्युत मंडल एवं उत्तरवर्ती कम्पनियों से पूर्व वर्षों के बकाया राजस्व की वसूली एवं अतिदेय ब्याज की प्राप्तियों का समायोजन होना है।
- 3.3 वर्ष 2008-09 में करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ रूपये 3342.86 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान रूपये 3145.31 करोड़ से 6.28 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार करेतर राजस्व रूपये 6262.30 करोड़ प्राप्त होना है। अधिक प्राप्ति का मुख्य कारण राज्य विद्युत मंडल एवं उत्तरवर्ती कम्पनियों से पूर्व वर्षों की देय राशि का समायोजन होना है।

4. संभावनाएं-

- 4.1 वर्ष 2004-05 से 2008-09 के मध्य, वर्ष 2005-06 को छोड़कर, प्रदेश में पंजीकृत विनिर्माण की विकास दर धनात्मक रही है जिससे आशावादी संकेत मिलते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित हुआ है, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के विकास दर में और सुधार की आशा है।
- 4.2 सार्वजनिक सिंचाई व्यवस्था में अधिक लोक निवेश तथा कृषि पंपों के लिये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि संबंधी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है । परिणामतः वर्ष 2008-09 में कृषि क्षेत्र में 9.17 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे राज्य की आर्थिक विकास दर में सुधार हुआ है।

- 4.3 प्रदेश में संचार क्षेत्र में भी 33.45 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करती है।
- 4.4 राज्य के राजकोषीय घाटे का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत वर्ष 2008-09 में मात्र 2.73 रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रही है। वर्ष 2009-10 के लिये राजकोषीय घाटे की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.00 प्रतिशत के आधार पर रखा गया है। पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.65 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.00 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

ख. चयनित राजकोषीय सूचकों में रुख-

(रुपये करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2008-09	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	33577.21	43284.39	43443.82	28.91	0.37
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	24380.64	28489.37	29717.59	16.85	4.31
2.1	राज्य कर	13613.50	17441.96	18670.18	28.12	7.04
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	10767.14	11047.41	11047.41	2.60	0.00
3	करेतर राजस्व	3342.86	6262.30	4322.46	87.33	-30.98
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	5853.71	8532.72	9403.77	45.77	10.21
5	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	4974.89	7305.09	8126.77	46.84	11.25
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	78.41	64.32	60.46	-17.97	-6.00
7	शुद्ध लोक ऋण	4591.96	6845.12	7469.54	49.07	9.12
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	304.52	395.65	596.77	29.93	50.83
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	38552.10	50589.48	51570.59	31.22	1.94
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	29513.88	37976.84	41863.26	28.67	10.23
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	21892.29	26562.46	29212.64	21.33	9.98
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	7621.59	11414.38	12650.62	49.76	10.83
10.3	राजस्व व्यय : - जिसमें					
10.3.1	व्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	4191.99	4794.10	5051.83	14.36	5.38
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	10479.85	13742.87	15144.95	31.14	10.20
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	8546.87	10611.23	12516.55	24.15	17.96
10.3.4	पेंशन संदाय	2433.05	3151.85	3305.03	29.54	4.86
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	6713.15	8082.08	8024.72	20.39	-0.71
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	209.70	65.57	31.71	-68.73	-51.64
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	6503.45	8016.51	7993.01	23.27	-0.29
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	1862.19	3883.32	1619.33	108.54	-58.30
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	1185.01	3054.67	323.83	157.78	-89.40
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	677.18	828.65	1295.50	22.37	56.34
13	कुल व्यय	38089.22	49942.24	51507.31	31.12	3.13
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	23287.00	29682.70	29568.18	27.46	-0.39
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	14802.22	20259.54	21939.13	36.87	8.29
14	राजस्व घाटा आधिक्य (1-10)	4063.33	5307.55	1580.56	30.62	-70.22
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-4433.60	-6593.53	-8003.03	48.72	21.38
16	प्राथमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)	-241.61	-1799.43	-2951.20	644.77	64.01

प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर बनाया गया है एवं तदनुसार ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के मान से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2009-10 के लिये 4.00 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 वें वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में भी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में इस लक्ष्य को आगामी वर्षों में और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि पूंजीगत निवेश में और वृद्धि के द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ाई जा सके। छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के कारण वेतन के एरियर्स का भार भी आगामी वर्षों में राज्य शासन के ऊपर आएगा जिसके कारण राजस्व आधिक्य में तीव्र हास होने की संभावना है। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा 13 वें वित्त आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाएँ केन्द्र सरकार को सौंप दी हैं। इन अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि का निर्धारण होगा एवं तदनुसार राज्य शासन के राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे में परिवर्तन संभावित है।

उपरोक्तानुसार केन्द्र से संभावित अनुदान को समावेशित करते हुए आगामी वर्षों के लिये चल लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसमें संभावित राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे के मध्य अनुलोम संबंध है। इन सूचकों के स्वरूप एवं परिमाण को निर्धारित करते हुए वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित वर्षों में इनके मध्य परस्पर सामंजस्य रखा जावेगा।

क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2008-09	पुनरीक्षित अनुमान 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2011-12	2012-13	2013-14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.50	2.94	0.79	1.51	1.41	1.32
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.73	3.65	4.00	3.45	3.55	3.65
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया दायित्व	39.47	38.78	38.78	38.39	38.13	38.01

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :

(क) **कर राजस्व** - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय कर का हस्तांतरण सम्मिलित है। वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा रुपये 11047.41 करोड़ अनुमानित है। यह अनुमान वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान के बराबर ही रखा गया है क्योंकि वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एव केन्द्र द्वारा इसे मान्य किये जाने के उपरान्त ही तय हो सकेगा। वर्ष 2010-11 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपये 18670.18 करोड़ है।

(ख) **करेतर राजस्व** - वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व रुपये 4322.46 करोड़ अनुमानित है। यह राशि वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान रुपये 6262.30 करोड़ से 30.98 प्रतिशत कम है। पुनरीक्षित अनुमान की वृद्धि सरदार सरोवर से पूर्व वर्षों की बिजली बिक्री की राशि एवं मध्य प्रदेश विद्युत कम्पनियों से बकाया अतिदेय ब्याज के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुई है। आगामी वर्षों के लिये प्रचलित ट्रेंड/रूझान के अनुसार 8 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत बुंदेलखंड पैकेज के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्ष 2010-11 के आयोजनागत अनुदानों में रूपये 683.62 करोड़ की प्राप्ति संभावित है।

(ग) कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्ति में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2009-10 (पुनरीक्षित अनुमान) में 40.30 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 में यह अनुपात 42.98 प्रतिशत होने की संभावना है।

(घ) कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 14.47 प्रतिशत है। राज्य की विद्युत कंपनियों के विशेष समायोजन को कम करके यह हिस्सा 9.46 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा 9.95 प्रतिशत होने की संभावना है।

(2) पूंजीगत प्राप्ति : वर्ष 2010-11 में पूंजीगत प्राप्ति रूपये 8126.77 करोड़ होने की संभावना है जो वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान से 11.25 प्रतिशत अधिक है। बाद के वर्षों में राजकोषीय लक्ष्यों के आधार पर सकल ऋण का अनुमान लगाया गया है तथा संबंधित वर्ष में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा उस समय प्रचलित ब्याज दर के आधार पर नए ऋणों का पोर्टफोलियो निर्धारित किया जायेगा।

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2010-11 के लिये रूपये 1628.45 करोड़ केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां-

राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है। अतः अन्य स्रोतों से निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्षों में इस स्रोत का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जावेगा। वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान रुपये 300 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान रुपये 450 करोड़ है। वर्ष 2010-11 में इस मद में रुपये 300 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - 31 मार्च 2009 की स्थिति में रुपये 7630.97 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग रुपये 4305.18 करोड़ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल व उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों पर है।

(घ) **वित्तीय संस्थानों से उधार** - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान रुपये 5721.11 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान अनुसार रुपये 6150.05 करोड़ है। वर्ष 2010-11 के लिये रुपये 6500 करोड़ की राशि बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है तथा आगे के वर्षों के लिये यह राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है। नाबार्ड, हुडको, एल. आई. सी. जैसे अन्य संस्थानों से लिये जाने वाले उधार परियोजना-आधारित हैं और समग्र उधार कार्यक्रम का भाग है।

(ङ) **अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि** - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्ध होने पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ति के लिये किया जावेगा।

(च) **बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व** - वर्ष 2008-09 के लेखा अनुसार मार्च 2009 की समाप्ति पर सकल शेष ऋण रुपये 54672.49 करोड़ है। राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा) को जोड़कर यह राशि रुपये 60432.43 करोड़ होती है। राज्य द्वारा अन्य संस्थाओं को दी गई प्रत्याभूति की

राशि के विरुद्ध लंबित ऋण एवं ब्याज जोड़ने पर राज्य का कुल दायित्व रूपये 64156.28 करोड़ होता है तथा मार्च 2010 तक यह रूपये 69958.06 करोड़ होना अनुमानित है।

(3) कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय रू 12650.62 करोड़ एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय रूपये 29212.64 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2010-11 के पश्चात आयोजना राजस्व व्यय में 12 से 13 प्रतिशत तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय तथा अनुदान शामिल है।

(एक) ब्याज संदाय - वर्ष 2009-10 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 7.02 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर पूर्वानुमान किये गये हैं।

(दो) प्रमुख अनुदान (सब्सिडी) - वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में 10.20 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

(तीन) वेतन — राज्य शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप माह सितंबर 2008 से छठवें वेतनमान का नगद लाभ दिया गया है, जिसका नगद भुगतान वित्तीय वर्ष 2009-10 में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में जुलाई 2009, नवंबर 2009 तथा

जनवरी 2010 से क्रमशः 4 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने के कारण वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 24.15 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। जनवरी, 2006 से अगस्त, 2008 तक की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का भुगतान वर्ष 2010 से 2014 के दौरान पाँच समान किस्तों में किया जाना है, जिसकी प्रथम किस्त मई, 2010 में देय होने के कारण वर्ष 2010-11 में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 17.96 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

(चार) पेंशन - वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का भी समेकन किया गया। पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में भी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के अनुसार वृद्धि किये जाने के कारण वर्ष 2009-10 में इस मद अन्तर्गत वर्ष 2008-09 की तुलना में 29.54 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2010-11 में इस मद में वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान से 4.86 प्रतिशत अधिक व्यय होना अनुमानित है। बाद के वर्षों में इस मद में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

(ख) पूँजीगत लेखा -

(एक) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में उधार तथा अग्रिम मद में 179 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण बिजली परियोजनाओं के लिये कार्यशील पूँजी हेतु ऋण में वृद्धि है।

(दो) **पूँजीगत परिव्यय** - राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पूँजीगत परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.48 प्रतिशत होना संभावित है। आधारभूत क्षेत्रों में पूँजीगत निवेश की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में इसमें 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2008-09 के दौरान चालू मूल्यों पर औसतन 9 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। वर्ष 2009-10 में Fiscal Stimulus के कारण यह वृद्धि 11 प्रतिशत अनुमानित की गई है तथा उसके पश्चात भी इसमें 11 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है। समावेशी आर्थिक वृद्धि की अवधारणा को पूर्ण करने हेतु जी.एस.डी.पी. में वृद्धि को और तीव्र करना आवश्यक है तथा राजकोषीय नीति का यह प्रमुख लक्ष्य है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजकोषीय नीति अग्रसर है।

(ग) संवहनीयता का निर्धारण :

(1) **सामान्यतः प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व जी.एस.डी.पी. अनुपात 15.79 प्रतिशत है तथा वर्ष 2012-13 में इसके 14.66 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2009-10 में स्वयं के कर राजस्व का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 9.67 प्रतिशत है और यह वर्ष 2012-13 में 9.49 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2009-10 के लिये केन्द्रीय

करों में राज्य के हिस्से का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 6.12 प्रतिशत है और यह वर्ष 2012-13 में 5.17 प्रतिशत संभावित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 11.08 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों में यह अनुपात बढ़ कर 11.63 प्रतिशत है एवं वर्ष 2012-13 तक घट कर यह 10.84 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 15 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है।

वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 38.78 प्रतिशत अनुमानित है। यही अनुपात वर्ष 2010-11 में भी रहने संभावना है। वर्ष 2012-13 तक यह अनुपात घटकर 38.13 प्रतिशत तक हो जाना संभावित है।

- (2) आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को छठवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान/पेंशन दिये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2008-09 की तुलना में वेतन मद में 24.15 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 29.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर में अन्तर को कम करने तथा जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक के वेतन एरियर्स की प्रथम किस्त के संभावित भुगतान के कारण वर्ष 2010-11 के लिये वेतन मद में बजट अनुमान में वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा गठित राज्य वेतन आयोग की संभावित अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप राज्य के आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि संभावित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋण के पोर्टफोलियों के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2008-09 की तुलना में 14.36 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2009-10 की तुलना में 5.38 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय में वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2010-11 में 9.98 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

- (3) पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त की जा चुकी है। वर्ष 2007-08 से सभी पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- (4) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणना विगत 5 वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार की गई है। तदनुसार, पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

वर्ष	रु. करोड में
2004-05	1329.89
2005-06	1557.15
2006-07	1729.16
2007-08	1964.28
2008-09	2433.05
2009-10	3151.85
2010-11	3305.03
2011-12	3701.63
2012-13	4145.83
2013-14	4643.33
2014-15	5200.53
2015-16	5824.59
2016-17	6523.54
2017-18	7306.37
2018-19	8183.13
2019-20	9165.11

टीप:- वर्ष 2004-05 से 2008-09 के आंकड़े वास्तविक लेखा, वर्ष 2009-10 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2010-11 के आंकड़े बजट अनुमान के आधार पर हैं।

राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के कारण वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2008-09 के वास्तविक व्यय से 29.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2010-11 में पेंशन मद में रूपये 3305.03 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2011-12 एवं आगामी वर्षों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

- (1) **राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :** राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी वृद्धि की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। वर्ष 2009-10 में आर्थिक विकास की दर में ह्रास के कारण कर संग्रहण में कुछ कमी आई है। पूर्व वर्षों में ऋणों की अदला बदली तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है। इस कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में 8.72 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2008-09 की तुलना में 28.12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान से 7.04 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2008-09 की तुलना में 21.33 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 9.98 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2010-11 के आयोजनेतर राजस्व व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुरूप वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त दिया जाना है। परिणामतः राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2009-10

के बजट अनुमान रुपये 1698.91 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 में रुपये 1580.56 करोड़ अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा रुपये 8003.03 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। यह राजकोषीय संकेतक मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित)-2009 अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में रहने की संभावना है।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जावेगा।

(i) कर नीति : राजस्व प्राप्ति में लगातार वृद्धि किये जाने की राज्य शासन की नीति रहेगी। कर प्रणाली में सकारात्मक सुधारों के अन्तर्गत कर आधारों का विस्तार, स्वेच्छा से यथा समय कर देने की प्रवृत्ति निर्मित करने एवं कर प्रशासन का सुदृढीकरण किये जाने की राज्य शासन की नीति है। राज्य शासन, विभागों की कर संग्रहण व्यवस्था को बेहतर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करेगा।

(ii) व्यय नीति : परिणामों के आधार पर शासन द्वारा किया गया व्यय सफलता / असफलता का परिचायक होता है। यह परिणाम एवं पारदर्शिता के मानकों पर मूल्यांकित किया जा सकता है। 1 अप्रैल, 2009 से समस्त आहरण कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन के व्यवस्था अंतर्गत किये जा रहे हैं।

(क) परिणामी बजट : - वर्ष 2006-07 से परिणामी बजट तैयार किये जाकर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में वर्ष 2010-11 के परिणामी बजट प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिसमें परिणामों को आंकलित करने वाले मापनीय परिदानों (Quantifiable Deliverables) के रूप में परिणामों (Outcomes) को दर्शाया जाता है।

(ख) **जेण्डर बजट** : - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट द्वारा महिलाओं को लाभान्वित करने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं का वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सकेगा। इस क्रम में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में क्रमशः 13, 21 एवं 23 विभागों के लिये जेण्डर बजट बनाया गया था। वर्ष 2010-11 में इसकी परिधि में 24 विभागों को लिया गया है।

(ग) **गैर बजटीय प्राक्कलन (Off budget estimates)** : - व्यय के स्रोतों का पारदर्शी होना व्यय की सफलता को द्विगुणित कर देता है। शासन द्वारा इस पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये राज्य में चल रही परियोजनाओं में व्यय के स्रोतों को दर्शाने के लिये वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में गैर बजटीय प्राक्कलन को भी दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया था। इस प्रक्रिया को वर्ष 2010-11 के लिये भी जारी रखा गया है।

(iii) **ऋण एवं आकस्मिक दायित्व** : वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है।

(3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :

(i) राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक दौर में भोपाल स्थित कुछ कार्यालयों के शासकीय कर्मचारियों के वेतन की राशि सीधे बैंकों में कर्मचारियों के खाते में जमा की जाने लगी है।

- (ii) राजस्व आय में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी को पर्याप्त रूप से अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है। स्टाम्प तथा पंजीकरण, वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद एवं परिवहन में कम्प्यूटराईजेशन के कार्य को गति प्रदान की जायेगी। नई सूचना तकनीक के उपयोग से कर प्रणाली का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी हो सकेगा।
- (iii) अधोसंरचना विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त मानव संसाधनों की उत्पादकता वृद्धि हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जावेगी।
- (iv) शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन के छः चयनित विभागों के लिये मध्यम अवधि व्यय ढांचा तैयार किया गया है। इसके साथ ही राज्य के लिये मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचा भी बनाया जा रहा है ताकि शासकीय विभागों के व्यय का उनकी प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के आधार पर युक्तियुक्तकरण करते हुये राज्य के संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके तथा राज्य के राजकोषीय अनुमानों का सटीक आंकलन करते हुए राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य के लिये राजकोषीय नीति तैयार की जा सके।

(4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में वृद्धि की है। सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्ध चिकित्सीय कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्रदेश में गरीबी तथा कुपोषण की उच्च दर के कारण खाद्यान्न सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है।
- (ii) सामान्यतः ऋण कार्यक्रम तय करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। ऋण नीति का उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना एवं इसकी उत्पादकता को बढ़ाना है।

(iii) कृषि विकास की दर में वृद्धि के लिये कृषि उत्पादन में लगने वाले आदानों (इनपुट) की लागत कम करने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके कारण किसानों के लिये बिजली तथा ऋण पर अनुदान के स्तर का निर्धारण लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विवेक से लिया जायेगा।

(5) **नीति मूल्यांकन :** मध्य प्रदेश राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सभी राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2008-09 के लेखा, वर्ष 2009-10 के बजट/पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक प्राक्कलित ट्रेंड/रूझानों के आधार पर तैयार किये गये हैं। उल्लेखित वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुमानों को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

प्ररूप एफ-4

(नियम 7 देखिये)

चयनित राजकोषीय सूचक

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2008-09	2009-10	2010-11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	2.73	3.65	4.00
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	91.65	80.50	19.75
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.50	2.94	0.79
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	12.10	12.26	3.64
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	39.47	38.78	38.78
6	कुल दायित्व-कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	191.07	161.62	178.74
7	कुल दायित्व-राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	471.27	401.09	415.90
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	46.13	45.93	44.60
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	151.42	122.58	100.27
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	12.48	11.08	11.63
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	25.45	24.52	28.81
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	7.25	7.28	7.61

प्ररूप एफ-5

(नियम 7 देखिये)

क.- राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2008-09 (लेखा)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	4495.25	6150.05	6500.00	537.89	775.35	645.47	16603.81	21978.51	27833.04
2	केन्द्र से ऋण	1153.68	1619.62	1642.90	444.87	500.68	147.36	9490.67	10609.61	12105.15
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	70.77	450.00	300.00	196.73	194.72	204.46	14174.43	14429.71	14525.25
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	814.26	913.34	948.65	762.52	817.13	924.72	6363.38	6459.60	6483.53
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	19.01	1000.00	4000.00	19.01	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	9632.63	9704.48	10445.13	9179.16	10023.97	10223.30	13800.13	13480.64	13702.47
7	अन्य जमा									
8	योग	16185.60	19837.49	23836.68	11140.18	13311.86	16145.31	60432.43	66958.06	74649.43

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		^			
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2008-09	चालू वर्ष (पु.अ.) 2009-10	पूर्व वर्ष (लेखा) 2008-09	चालू वर्ष (पु.अ.) 2009-10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	7.11	8.31	7.97	8.05
2	केन्द्र से ऋण	5.99	5.12	7.61	7.37
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9.50	9.50	9.76	10.34
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	6.50	6.50	8.79	8.33
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	5.75	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	8.00	8.00	8.00	8.00
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल औसत दर *	7.49	7.02	8.47	8.49

^ अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई है।

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2008-09	चालू वर्ष 2009-10
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	19	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	2*	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

*अर्थोपाय अग्रिम का कारण राज्य शासन की वित्तीय स्थिति नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक का तकनीकी कारण है।

प्ररूप एफ-6

(नियम 7 देखिये)

संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टाक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टाक (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

प्ररुप एफ - 7

(नियम 7 देखिये)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-		

* - आंकड़ा (डाटा) चालू वर्ष के लिये 31 दिसम्बर तक है।

प्ररूप एफ-8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

					(रुपये करोड़ में)
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	305.66	0.00	1.00	0.00	306.66

प्ररूप एफ-9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें	5823.13	1807.84	7630.97
	स्थानीय निकायों को ऋण	1058.28	174.47	1232.75
	कंपनियों को ऋण	0	0	0
	अन्य को ऋण	4764.85	1633.37	6398.22
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)	8844.99	798.36	9643.35
	अंशपूजी (शेयर)			
	बोनस शेयर			
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/ कोषालयीन बिलों में विनिधान	3.32	0	3.32
4	कोषालयीन बिलों में विनिधान	2755.68	170.47	2926.15
5	अन्य वित्तीय विनिधान	--	--	--
6	योग	17427.12	2776.67	20203.79

टिप्पणी :- केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

प्ररूप एफ-10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया

(मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (रुपये करोड़ में)	अविवादित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल योग (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	-	-	-
0028	आय तथा व्यय पर कर	-	-	-
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व*	79.34	37.84	117.18
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	29.30	87.50	116.80
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0039	राज्य आबकारी	8.13	50.79	58.92
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	487.18	58.86	546.04
0041	यानों पर कर	0.00	0.00	0.00
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.02	0.67	0.69
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क	15.86	3.86	19.72
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	1202.25	12.05	1214.30
0700-	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई	0.00	463.01	463.01
0701-	मध्यम, तथा	0.00	52.98	52.98
0702	लघु सिंचाई	0.00	376.84	376.84
0406	वन तथा वन्य जीव	3.50	13.66	17.16
	योग	1825.58	1158.06	2983.64

* वर्ष 2007-08 की स्थिति में

प्ररूप एफ-11

(नियम 7 देखिये)

क राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	2846	0.62
2.	2501 से 4300	149980	32.12
3.	4301 से 6100	144995	31.04
4.	6101 से 9700	135040	28.92
5.	9701 से 13300	21367	4.57
6.	13301 से 19300	11317	2.42
7.	19301 से अधिक	1446	0.31
	योग	466991	100.00

ख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	1453	2.28
2.	2501 से 4300	6358	9.99
3.	4301 से 6100	10621	16.68
4.	6101 से 9700	27003	42.41
5.	9701 से 13300	10618	16.68
6.	13301 से 19300	5069	7.96
7.	19301 से अधिक	2544	4.00
	योग	63666	100.00

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर में)

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	3	2.86
2.	801 से 1000	62	59.05
3.	1001 से 1400	24	22.86
4.	1401 से 2000	8	7.62
5.	2001 से 3500	7	6.66
6.	3501 से 5000	0	0.00
7.	5001 से अधिक	1	0.95
	योग	105	100.00

ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	278	3.53
2.	2501 से 4300	2798	35.55
3.	4301 से 6100	1725	21.92
4.	6101 से 9700	1852	23.53
5.	9701 से 13300	706	8.97
6.	13301 से 19300	442	5.62
7.	19301 से अधिक	69	0.88
	योग	7870	100.00

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	4	0.53
2.	801 से 1000	313	41.68
3.	1001 से 1400	81	10.79
4.	1401 से 2000	82	10.91
5.	2001 से 3500	233	31.03
6.	3501 से 5000	33	4.39
7.	5001 से अधिक	5	0.67
	योग	751	100.00

घ विश्वविद्यालयों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	212	2.75
2.	2501 से 4300	4528	58.69
3.	4301 से 6100	913	11.83
4.	6101 से 9700	971	12.59
5.	9701 से 13300	545	7.06
6.	13301 से 19300	392	5.08
7.	19301 से अधिक	154	2.00
	योग	7715	100.00

ड - नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	17300	24.59
2.	2501 से 4300	43495	61.82
3.	4301 से 6100	6919	9.84
4.	6101 से 9700	2116	3.01
5.	9701 से 13300	412	0.59
6.	13301 से 19300	100	0.14
7.	19301 से अधिक	10	0.01
योग		70352	100.00

च विकास प्राधिकरणों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	242	13.03
2.	2501 से 4300	823	44.34
3.	4301 से 6100	255	13.74
4.	6101 से 9700	268	14.44
5.	9701 से 13300	135	7.28
6.	13301 से 19300	93	5.01
7.	19301 से अधिक	40	2.16
योग		1856	100.00

छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	51569	39.68
2.	2501 से 4300	63182	48.61
3.	4301 से 6100	12389	9.53
4.	6101 से 9700	2303	1.77
5.	9701 से 13300	395	0.31
6.	13301 से 19300	127	0.10
7.	19301 से अधिक	6	0.00
योग		129971	100.00